GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 342
TO BE ANSWERED ON 04.02.2021

Fund sharing by UGC as per 7th Pay Commission Report

342 # ShriSushil Kumar Modi:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether there was a provision for the University Grants Commission (UGC) to share theburden of 50 per cent of funds after the implementation of 7th Pay Commission by the universities;
(b) whether Government of Bihar has implemented the 7th Pay Commission on which anamount of ₹ 767 crores had to be spent;
(c) whether the UGC has not released its share of ₹ 383.50 crores till date; and
(d) if so, the justification for this delay and the time-line by which it proposes to release the same?

ANSWER
MINISTER OF EDUCATION
(SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a): The Scheme of Revision of Pay (7th CPC) of Teachers and Equivalent Cadres in Universities and Colleges has been implemented by the Ministry of Education. Under the scheme, the Central Government reimbursed50% (fifty per cent) of the additional expenditure involved in the implementation of the pay revision in universities, colleges and other higher educational institutions funded by the State Government, for the period from 01.01.2016 to 31.03.2019, to those State Governments, who wish to adopt and implement the scheme, subject to certain conditions and furnishing of complete proposal along with necessary documents by the closing date of the scheme i.e. 31.03.2020.

(b),(c) & (d):The Government of Bihar informed that it had implemented the Scheme of Revision of Pay (7th CPC) for teachers and equivalent cadres of State Universities & Colleges and the total additional expenditure for implementation of the scheme for the period from 01.01.2016 to 31.03.2019 is Rs.767,06,18,748/-, but did not submit the complete proposal along with required documents on or before the closing date i.e. 31.03.2020 of the scheme. Therefore, the central share for the scheme could not be released.

*****

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चषतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्नश संख्या3:42

उत्तर देने की तारीख: 04.02.2021

7वें वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार विश्वजविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधि को साझा किया जाना

342 # श्री सुशील कुमार मोदी:

क्यार शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वीविद्यालयों द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद विश्वाविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निधि के 50 प्रतिशत भार को साझा करने का प्रावधान था;
(ख) क्या बिहार सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है जिसके अनुसार 767 करोड़ रूपये की धनराशि का व्याय किया जाना था
(ग) क्याप विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने आज की तारीख तक 383.50 करोड़ रूपये का अपना हिस्सा जारी नहीं किया है और
(घ): यदि हां, तो इस विलंब का औचित्यद क्याज है और उक्त8 को कब तक जारी किए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों की वेतन संशोधन योजना (7वां सीपीसी) लागू की गई है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने इस योजना को कुछ शर्तों के अधीन अपनाने और कार्यान्वित करने तथा योजना की समापन तिथि अर्थात 31.03.2020 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली राज्य सरकारों के लिए 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में वेतन संशोधन के कार्यान्वयन में शामिल अतिरिक्त व्यय के 50% (पचास प्रतिशत) की प्रतिपूर्ति की।

(ख), (ग) और (घ): बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उसने राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के लिए वेतन संशोधन (7वां सीपीसी) की योजना कार्यान्वित की है और 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अतिरिक्त व्यय 767,06,18,748/- रुपए है, लेकिन योजना की अंतिम तिथि अर्थात 31.03.2020 तक या उससे पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए , योजना के लिए केंद्रीय हिस्सा जारी नहीं किया जा सका।

******